भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-541

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तकरार्थ

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध

***541. एडवोकेट चन्द्र शेखरः**

श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2021 में एक अधिसूचना के माध्यम से देश भर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगाने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के किन उपबंधों के तहत उक्त अधिसूचना जारी की गई थी;

(ख) क्या उक्त अधिनियम की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड मोड को अनिवार्य बनाना उक्त अधिनियम के मूल उद्देश्य के विपरीत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उन उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड का विकल्प खुला रखने का विचार है तो प्रीपेड विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं या इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तङर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

"विद्युत अधिनियम , 2003 के उपबंध " के संबंध में दिनांक 02.04.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 541 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ):(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47(5) में प्रावधान है कि उपभोक्ता के अनुरोध पर वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को प्री-पेमेंट मीटर उपलब्ध कराएगा और इसके लिए किसी सुरक्षा राशि की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) इसके अतिरिक्त, सरकार ने विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम , 2020 जारी किए हैं, जिनमें यह अनिवार्य किया गया है कि नए कनेक्शन केवल स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर के साथ ही प्रदान किए जाएंगेतथा स्मार्ट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर संबंधी किसी भी अपवाद को राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(iii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विनियम, 2022 यथा संशोधित, के अनुसार संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर संबंधित भारतीय मानकों (आईएस) के अनुरूप स्मार्ट मीटरों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। यह भी प्रावधान है कि सभी एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्री-पेमेंट सुविधा शामिल होगी तथा वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर-प्रचालनात्मक होंगे।

(iv) भारत सरकार ने जुलाई 2021 में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। आरडीएसएस के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में उपभोक्ताओं , वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) और फीडरों के लिए स्मार्ट मीटरों की संस्थापना शामिल है। यह परिकल्पना की गई है कि संस्थापित स्मार्ट मीटरों में प्री-पेमेंट सुविधा होनी चाहिए और सरकार का दृष्टिकोण इन मीटरों से मिलने वाले लाभों के आधार पर उपभोक्ताओं को प्री-पेड स्मार्ट मीटर अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

(v) परंपरागत रूप से संस्थापित स्मार्ट मीटरों के लिए पोस्ट-पेड सेवा डिफ़ॉल्ट मोड में रही है। हालांकि,उपभोक्ताओं एवं वितरण यूटिलिटी को मिलने वाले लाभों को देखते हुए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) तथा राज्य स्कीमों के अंतर्गत स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर प्रीपेड मोड में 19.79 करोड़ उपभोक्ता मीटर, 52.53 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) तथा 2.05 लाख फीडरों को कवर करने वाले स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं तथा 4.69 करोड़ स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य स्कीमों सहित अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।देशभर में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कुल 6.13 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं,जिनमें से 2.25 करोड़ प्रीपेड मोड में चल रहे हैं।

(vi) उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की गई है:

i. छोटे रिचार्ज के साथ रिचार्ज की सुविधा
ii. जीरो बैलेंस होने पर कनेक्शन कटने से बचने के लिए मीटर में आपातकालीन क्रेडिट
iii. खपत की निगरानी
iv. त्रुटिरहित बिलिंग

उपभोक्ताओं के अतिरिक्त, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग से वितरण यूटिलिटी की बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार होता है, साथ ही स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान, मांग-पक्ष प्रबंधन हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग तथा ऊर्जा पारगमन के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। वितरण यूटिलिटी को प्राप्त होने वाले लाभ अंततः बेहतर सेवाओं एवं कम लागत के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुँचते हैं।

(vii) प्रारंभ में, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के क्रियान्वयन में स्मार्ट मीटर के लाभों के संबंध में उपभोक्ताओं की अपर्याप्त जागरूकता के कारण कुछ चुनौतियाँ थीं। उपभोक्ता सहभागिता बढ़ाने एवं विश्वास सुदृढ़ करने के लिए इस मंत्रालय ने विभिन्न परामर्शिकाएं/मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) जारी की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना को प्राथमिकता तथा लाभों के प्रदर्शन के आधार पर बाद में अन्य उपभोक्ताओं तक विस्तार।
- बिल में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर स्थापना के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन;
- स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति नहीं;
- पिछले बकाया की आसान किस्तों में वसूली की व्यवस्था;
- स्मार्ट मीटर की सटीकता पर विश्वास बढ़ाने हेतु चेक मीटर की स्थापना;
- बिजली खपत की नियमित निगरानी एवं आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप की उपलब्धता;
- उपभोक्ताओं को शेष राशि एवं आपातकालीन क्रेडिट के लिए अग्रिम अलर्ट।

इस स्कीम की समापन तिथि 31 मार्च, 2028 है।

****